न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

सूरजाराम .... बनाम .... बाबूलाल

किस्म मुकदमा .... २२५ मु. नं0 .... वर्ष 2018

दिनांक	आज्ञा पत्र
5.7.2018	अपील दर्ज रजिस्टर हो। मियाद का बिन्दू रिजर्व रहेगा स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलान्ट को सुना गया। वकील अपीलान्ट ने निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं0-1 से 8 ने अदालत मातहत में दावा बाबत उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जिसके साथ प्रार्थना पत्र धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नं0 मीन 000 0000 141/2 कस्बा लक्ष्मणगढ के रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति का निवेदनव किया जाकर दि0 16-8-2013 को एकपक्षीय आदेश पारित कर अपीलान्ट जो एक रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है उसे बिना सुने अन्तरिम आदेश पारित किया है। एकपक्षीय आदेश को आदेश-39 नियम-3 क के अनुसार 30 दिन में अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाना चाहिये किन्तु अदालत मातहत ने इस आदेश को आगे से आगे बढाते हुये लगभग 5 वर्ष तक जारी रखा है जो विधि के विरूद्ध है अतः प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार कर अदालत मातहत के आदेश की क्रियान्विति को स्थगित रखा जावे।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बहस बगौर समाहत की गई । प्रार्थना पत्र एवं अदालत मातहत के निर्णय का अवलोकन किया गया अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट/आवेदक को एकपक्षीय सुनकर दिनांक 16-8-2013 को एकपक्षीय आदेश जारी कर अप्रार्थीगण को विवादित आराजी की रेकार्ड एव मौके की यथास्थिति के लिये पाबन्द किया गया है । इस आदेश को लगभग 5 वर्ष का समय गुजर गया किन्तु प्रार्थना पत्र का अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया गया जबकि आदेश-39 नियम-3(क) सीपीसी के अनुसार इस प्रकार के एकपक्षीय आदेश का अन्तिम रूप से निस्तारण 30 दिन मे किया जाना चाहिये किन्तु

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	अदालत मातहत ने अन्तरिम आदेश को आज दिनाक तक अन्तिम रूप से निर्णित नहीं किया है। अतः न्यायहित में प्रकरण को इसी स्तर पर रिमाण्ड कर प्रार्थना पत्र का अन्तिम रूप से निर्णय के निर्देश दिया जाना उचित मानते हैं । अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ का निर्णय दिनांक 16-8-2013 मु0नं0 98/2013 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह प्रकरण में पक्षकारों को सुनकर प्रार्थना पत्र का अन्तिम रूप से निर्णय 30 दिन में पारित करे। पक्षकार अदालत मातहत में नियत पेशी पर उपस्थित होवें । निर्णय सुनाया गया । 5/7/18 (भंवरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	